

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 2399/11-सी-FP/UP/TRANS/21318/2016, लखनऊ, दिनांक: मई 24, 2017

शेता में,

उप वन संरक्षक,
जालीन सा०वा० प्रभाग,
उरई।

विषय:-

765 के०वी०डी०सी० उरई-अलीगढ़ पैकेज टी०ई० ०६ पारेषण लाईन के निर्माण में प्रस्तावित जालीन वन प्रभाग की ०.268 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवाणिज्यिक प्रयोग एवं मार्ग पटरियों पर खड़े प्रभावित ०५ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी का पत्रांक-4600/33-1, दिनांक 18.05.2017

प्रहोदय,
उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

- 1- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है।
- 2- वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों के मान्य होने का 15 मानक शर्तों ही उल्लेख है, जो अपूर्ण है। अतः 18 मानक शर्तें अंकित कर उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर, संलग्न करें।
- 3- क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उप वन संरक्षक द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु आनलाइन भाग-2 में प्रस्तावित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map तथा के०एम०एल० अपलोड की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है।
- 4- क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उप वन संरक्षक द्वारा सत्यापित व विन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु आनलाइन भाग-2 में प्रस्तावित वनभूमि की टोपोग्राफी अपलोड की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है।
- 5- प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के प्राक्कलन के सारांश में 400 के०वी०डी०सी० उरई-उरई (यू०पी०टी०सी०एल०) पारेषण लाईन एवं 765 के०वी०डी०सी० उरई-अलीगढ़ पारेषण लाईन के प्राक्कलन की घनराशि अलग-अलग क्षेत्रफल सहित अंकित करें।
- 6- प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बड़ी हुई एन०पी०वी० की घनराशि के भुगतान की वचनबद्धता, जो उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।
- 7- ईको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना जो उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।
- 8- भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो०नि०वि०) का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- 9- प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्टकेस, दिनांक 11.11.2011 के अनुसार वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
- 10- परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई रोन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
- 11- प्रस्ताव के आनलाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में परियोजना की लागत भिन्न-भिन्न अंकित है।
- 12- प्रस्ताव के हार्डकापी भाग-2 में हरियाली घनत्व अंकित नहीं है।
- 13- प्रस्ताव में संरक्षित वनभूमि प्रभावित होने के कारण लीज अवधि प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
- 14- वैकल्पिक भूमि प्रमाण पत्र पर प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(वाई०एस०के० शंभुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-2399/11-सी-FP/UP/TRANS/21318/2016/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी।
2. मुख्य प्रबन्धक, उप केन्द्र/पारेषण लाईन निर्माण, निकट कालपी बस स्टेण्ड उरई।

(वाई०एस०के० शंभुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षण, कुन्दलखोड गत उषा इलासी।

पत्रांक 4707 1831

दिनांक 25.5.2017

प्रतिनिधि - प्रभागिय वनाधिकारी ^{अई} के पुरस्कारित पत्र जो आपके
सीधे सम्बोधित के क्रम में इस निवेदन के साथ प्रेषित कि
पत्र में लगायी गयी समस्त आपत्तियों का निराकरण कर
निर्धारित प्रकृप में निविलम्ब ढर्र का कार्यालय को प्रेषित करे
वशा पुनः गैली भेजि चेक कर ले। एवं किसी भिन्न
विविध कार्य / कर्म-कारी को नोडल अधिकारी कार्यालय से
सम्पर्क कर प्रस्तावों की प्रत प्राप्त करा ले।

अई
कुन्दलखोड गत उषा इलासी
दिनांक 25.5.2017